प्रपत्र - 30

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

No:-

Dated 20.11.14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.495 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D. Nainital for Reconstruction of Motor Road from Km-20 of Nainital - Kaladhungi to Malani .... (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of .... Malani .... village (s) in.... Nainital........ tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.495 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to ....annexure..............

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector **Nainital**

No--- Dated-----20.11.14

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्के वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.495** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Provincial Division Nainital** (name of user agency) for **Road Work** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Nainital** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.495** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ---- to ----- annexure.

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Nainital** villages(s) is enclosed as annexure ------ to annexure ------

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

ANNEXURE 30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT Nainital (U.K.)

परियोजना का नाम :— जनपद नैनीताल में कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्के वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S deputy commissioner, **Naintal** on dated .20.:11.:14 at time ..11:.0AM..at Nainital in which application claiming rights in ---------area measuring **0.495** hect for the **Construction of Road Work** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Nainital** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : **Nainital**

Dated: .20:11:.14..

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम :— जनपद नैनीताल में नैनीता—कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20.00 से नलनी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.495 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण—पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति.........नैनीताल (नैनीताल)

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में नैनीताल—कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20.00 से नलनी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.495 है0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.495 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..18/11/14.., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

1. श्री आशीष चौहान उपजिलाधिकारी .....नैनीताल
2. श्री .... उप प्रभागीय वनाधिकारी ....नैनीताल.................... अध्यक्ष
3. श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य
4. श्री .... बी0डी0सी0 क्षे. .... सदस्य/सचिव
.... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि :—

जनपद नैनीताल में नैनीताल—कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20.00 से नलनी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.495 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में नैनीताल—कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20.00 से नलनी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.495 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील .....नैनीताल.....
जनपद .....नैनीताल.....

परियोजना के निर्माण हेतु 0.495 हे0 वनभूमि ......लोक निर्माण विभाग......प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल।

प्रारूप – 3.3

(1)

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20.00 से नलनी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.495 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण– पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ग्राम पंचायत नलनी

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला नैनीताल उत्तराखण्ड मे जनपद नैनीताल में नैनीताल–कालाढूँगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.495 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु (0.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.495 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नलनी द्वारा दिनांक 16/10/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनपा के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परपम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नलनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रायोक्ता की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (signature)
ग्राम पंचायत अधिकारी
विकासखण्ड/सचिव नलनी
जिला नैनीताल.

(signature)
गिरीश प्रकाश
से0 प्र0 सचिव
नलनी (प्रान्त)

(signature)
(गणेश सिंह महरा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

ह0/ (signature)
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा – नलनी
विकासखण्ड – [illegible]ताल

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रारूप - 30.4

दिनांक 16/10/2011 को ग्राम सभा नलनी की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :– नलनी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बचेसिंह अधिकारी	[illegible]
2	श्री देव सिंह अधिकारी	देवसिंह
3	श्री सुरेन्द्र सिंह अधिकारी	सुरेन्द्र सिंह
4	गोधन सिंह	गोधन सिंह
5	तेजराम	तेजराम
6	कृपाल सिंह	कृपाल
7	तेजसिंह	[illegible]
8	कुन्दन सिंह अधिकारी	[illegible]
9	गिरीश चं दुरगापाल क्षे० पं० सदस्य नलनी	[illegible]
10	नन्दन सिंह अधिकारी	[illegible]
11	आनन्द सिंह	[illegible]
12	कुन्दन सिंह [illegible]	आनन्द सिंह
13	मोहित अधिकारी	[illegible]
14	नवीन सिंह अधिकारी	Mohit
15	खीमसिंह अधिकारी	[illegible]
16	लीला देवी	खीमसिंह
17	सुनीता देवी	लीला देवी
18		[illegible]
19	बिमला देवी	
20	गंगा देवी	बिमला देवी
21	सरस्वती देवी	गंगा देवी
22	पूरन सिंह अधिकारी	सरस्वती देवी
23	सुरेश सिंह अधिकारी	[illegible]
24		[illegible]
25	कमल सिंह	[illegible]
26	YOGESH Bisht	[illegible]
27	जगदीश सिंह अधिकारी	[illegible]
28	दमयन्ती अधिकारी	[illegible]
29	[illegible] सिंह	दमयन्ती अधिकारी
30	गणेश सिंह महरा स० जि० पं० ज्योलीकोट	[illegible]
31	निर्मल सिंह अधिकारी	[illegible]

32 मनोज अधिकारी

33 जगदीश सिंह अधिकारी

34 चन्द्र सिंह अधिकारी

(गणेश सिंह महरा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

[illegible]

जगत सिंह

चन्दन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
जिला नैनीताल

गिरीश चं दुरगापाल
क्षे० पं० सदस्य
नलनी - खबाड़

ह०/- [illegible]

ग्राम प्रधान

[illegible]
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा – नलनी
विकासखण्ड – भीमताल